संख्या- 7 /2026/ 207/2026/003-27-10002(002)/7/2025-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद जौनपुर एवं मीरजापुर की पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की 03 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ के पत्रांक-13/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 23.01.2026, पत्रांक-12/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 23.01.2026 एवं पत्रांक-37/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 23.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर एवं मीरजापुर की विभिन्न पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की निम्न 03 परियोजनाओं हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-101-03-0301-24 ''कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण'' के अन्तर्गत धनराशि रू0 10000.00 लाख में से तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में निम्नलिखित तालिका के कॉलम-12 के अनुसार कुल धनराशि रू0 3,71,83,000.00 (रूपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट (परियोजना हेतु धनराशि)	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-सिरकोनी स्थित मोथहा पम्प नहर (20 क्यू0) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	10000.00 (**47.74**)	39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 एवं 87/2025/704/2025-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 22.08.2025	197.85 (a)/ 166.83(b)	196.86	0.99	149.12 (3.00+146.12)	47.74	94-4702-101-03-0301-24	**47.74**
2	जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-सिरकोनी स्थित जगदीशपुर पम्प नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	10000.00 (**33.17**)	39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 एवं 87/2025/704/2025-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 22.08.2025	137.48 (a)/ 115.91 (b)	136.77	0.71	103.60 (2.00+101.60)	33.17	94-4702-101-03-0301-24	**33.17**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड-पहाड़ी स्थित रामनगर सिकरी पम्प नहर (40 क्यू0) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-101-03-0301-24	10000.00 (**290.92**)	39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 एवं 87/2025/704/2025-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 22.08.2025	496.64 (a)/ 420.27 (b)	495.92	0.72	205.00 (5.00+ 200.00)	290.92	94-4702-101-03-0301-24	**290.92**
कुल धनराशि -											**371.83**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-39/2025/535/25-001-27-10002(002)/7/2025-10, दिनांक 26.03.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 तथा वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17-05-2023 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,71,83,000 (रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001010301 कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

<u>संख्या- 7 /2026/ 207/2026/003- 27-10002(002)/7/2025-10, तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता, (नलकूप वाराणसी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, वाराणसी।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।